

राजस्थान सरकार
महिला एवं बाल विकास विभाग

क्रमांक: प0 12(1)म.बा.वि./2016/पार्ट-11

जयपुर, दिनांक 10/01/2018

1. आयुक्त,
समेकित बाल विकास सेवाएँ,
2, जल पथ, गौधी नगर,
जयपुर-302015
2. आयुक्त,
महिला अधिकारिता,
जे-7, झालाना संस्थानिक क्षेत्र,
जयपुर-302004

विषय:- न्यायालय प्रकरणों में प्रभारी अधिकारी की नियुक्ति के संबंध में।
संदर्भ:- इस विभाग के समसंख्यक पत्र दिनांक 12.12.2017

महोदया,

उपरोक्त विषयान्तर्गत संदर्भित पत्र द्वारा न्यायालय प्रकरणों में प्रभारी अधिकारी की नियुक्ति, प्रकरण प्राप्ति के 15 दिवस की अवधि में ही कराये जाने के संबंध में लिखा गया था, किन्तु उक्त संदर्भ में कार्यवाही अपेक्षित होने के कारण न्याय विभाग ने पुनः स्मरण-पत्र क्रमांक प. 1(10)बैठक/न्याय/2013 पार्ट दिनांक 19.12.2017 द्वारा निर्देश प्रदान किये हैं।

अतः न्याय विभाग से प्राप्त उक्त पत्र की छायाप्रति संलग्न कर निर्देशानुसार लेख है कि कृपया न्यायालय प्रकरणों में प्रभारी अधिकारी की नियुक्ति प्रकरण प्राप्ति के 15 दिवस की अवधि में ही कराये जाने के संबंध में संबंधितों को निर्देश प्रदान कराकर इस विभाग को अवगत कराने का श्रम करें।

संलग्न:- उपरोक्तानुसार।

भवदीय,

(एन.एल.जेवरिया)
शासन उप सचिव

प्रतिलिपि निम्नांकित को सूचनार्थ प्रेषित है:-

1. संयुक्त शासन सचिव, न्याय विभाग, शासन सचिवालय, जयपुर।
2. निजी सचिव, शासन सचिव, महिला एवं बाल विकास विभाग।

शासन उप सचिव

राजस्थान सरकार
निदेशालय, समेकित बाल विकास सेवाएँ

क्रमांक-एफ.15(7)(6)/लाईटस/विधि/आईसीडीएस/2017/1382384 जयपुर, दिनांक: 19-1-18

1. प्रभारी अधिकारी वाद, व उप निदेशक/बाल विकास परियोजना अधिकारी, महिला एवं बाल विकास विभाग.....को भेजकर लेख है कि उप शासन सचिव, महिला एवं बाल विकास विभाग से प्राप्त पत्र अनुसार वांछित पालना किया जाना सुनिश्चित करें।
2. उप शासन सचिव, मबावि, शासन सचिवालय, राजस्थान जयपुर।
3. उप निदेशक एवं एनालिस्ट कम प्रोग्रामर, (कम्प्यूटर) मुख्यालय को विभागीय वेबसाईट पर अपलोड करवाने हेतु प्रेषित है।

अति निदेशक

समेकित बाल विकास सेवाएँ
राजस्थान जयपुर